

राजस्थान सरकार

आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

क्रमांक: एफ 1(2) (2) आ.प्र.एवं सहा./स.का./2009/2173-59 जयपुर, दिनांक 19-04-10

जिला कलेक्टर,

अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भीलवाड़ा,

बाकानेर, बून्दी, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, डूंगरपुर,

श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालौर,

झुन्झुनू, जोधपुर, नागौर, पाली, राजसमन्द, सवाईमाधोपुर,

सीकर, सिराही, टोंक, प्रतापगढ़, उदयपुर।


विषय:- अभावग्रस्त घोषित नगरपालिका क्षेत्रों में राहत कार्यों के समय के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अभावग्रस्त घोषित नगरपालिका क्षेत्रों में भी श्रमिकों के कार्य करने की अवधि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अनुरूप प्रातः 6.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक निर्धारित की जाती है। उक्त कार्य अवधि में श्रमिकों का विश्राम काल भी सम्मिलित है।


उचित होगा कि उपरोक्तानुसार 3.00 बजे तक निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत मेट स्वयं के क्षेत्राधिकार के कार्यों का इतने प्रभावी ढंग से संचालन करें कि श्रमिक समूह निर्धारित टास्क दोपहर 1.00 बजे तक पूर्ण कर लें एवं बाद पूर्ण टास्क वे कार्य स्थल से जा सकते हैं। यदि इसके उपरान्त भी कुछ श्रमिक निर्धारित टास्क पूर्ण नहीं कर पाते हैं तो वे निर्धारित समय सीमा अर्थात् 3.00 बजे तक रुककर कार्य पूर्ण कर सकते हैं।

भवदीय,

  
19/4/10  
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राज0, जयपुर।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, राज0, जयपुर।
3. निजी सचिव, सहायता मंत्री, राज0, जयपुर।
4. समस्त निजी सचिव, जिला प्रभारी मंत्रीगण।
5. शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीणविकास/वित्त/नगरीयविकास एवं आवासन, राज0, जयपुर।
7. समस्त निजी सचिव, जिला प्रभारी, सचिव।
8. समस्त सम्भागीय आयुक्त।
9. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, राज. जयपुर।

  
शासन उप सचिव